International Journal of Global Multidisciplinary Research and Analytics
IJGMRA | ISSN (Online): 3107-6483
October-December 2025 | Vol. 01 | Issue 3
Website: www.thearyapublication.com

हिंदी भाषा का भविष्य: चुनौतियाँ, संभावनाएँ और रणनीतियाँ

डॉ० प्रदीप कुमार*

***सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर**
ई-मेल: prksky10031988@gmail.com

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18207345
Accepted on: **31**/12/2025 Published on: 10/01/2026

सारांश:

21वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश लगभग व्यतीत हो चुका है। प्रथम 25 वर्षों के समापन के साथ ही 21वीं शताब्दी के बनते संसार का यत्किंचित अनुमान किया जा सकता है। यदि बात हिंदी के भविष्य की की जाय तो यह निश्चित है कि हिंदी का भविष्य दीर्घजीवी होगा। यहाँ पर 21वीं शताब्दी हिंदी भाषा एवं साहित्य के स्वरूप के विषय में कतिपय स्पष्ट संकेत दे रही है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि बीसवीं शताब्दी से आरंभ हुआ वैश्वीकरण भूमंडलीकरण अब व्यावहारिक रूप से पूर्णाकार हो चुका है। इन्हीं संदर्भों में हिंदी के भविष्य व उसकी संभावनाओं तथा चुनौतियों का अध्ययन हिंदी भाषा-भाषियों के भविष्य के विषय में भी स्पष्ट संकेत प्रदान कर सकेगा।

बीजशब्द: *कार्यालयी रूप, राजभाषा, संपर्क भाषा, पश्चिमी चिंतन, लक्ष्मणस्वामी मुदालियर आयोग, त्रिभाषा सूत्र, राजभाषा अधिनियम -1976, प्रयोजनमूलक हिंदी, निजीकरण, वैश्वीकरण।*

वर्तमानकाल में किसी भी भाषा का तीन स्वरूप स्पष्टतः दिखाई पड़ता है-साहित्यिक रूप, प्रयोजनमूलक रूप, कार्यालयी रूप। किसी भी भाषा को उसके साहित्यिक स्वरूप से अधिक प्रयोजनमूलक और व्यावहारिक स्वरूप से अधिक देखा-समझा जा सकता है। हिंदी भाषा के भी वर्तमान स्वरूप के कई संदर्भ हैं- साहित्यिक रूप,कार्यालयी रूप, राजभाषा का रूप, संपर्कभाषा का रूप, शैक्षणिक माध्यम का रूप।इन विविध रूपों में हिंदी की उपस्थिति का समग्र आकलन करते हुए हिंदी भाषा के भावी स्वरूप, चुनौतियों, संभावनाओं व रणनीतियों का व्यापक आकलन किया जा सकता है।

हिंदी भाषा का स्वरूप निर्धारण 1000ई० के आस-पास से मान्य है।यह मध्यकालीन सामंती सभ्यता का दौर था। जिसमें ज्ञान, चिंतन तथा दर्शन की विविध श्रेणियाँ संस्कृत भाषा के माध्यम से सुलभ थीं। ब्रिटिश शासन में शिक्षा की माध्यम भाषा को लेकर व्यापक बहस हुई थी। जिसमें पौर्वात्य व पश्चिमी चिंतकों ने भारतीय भाषा तथा आंग्लभाषा में से शिक्षा की माध्यमभाषा बनाने के विषय में लंबी ज़िरहें की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी भाषाप्रेमियों के संघर्ष से हम सभी पूर्व परिचित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1952ई० में गठित लक्ष्मणस्वामी मुदालियर आयोग ने त्रिभाषा-सूत्र को माध्यमिक शिक्षा तक के लिए माध्यमभाषा के रूप में अपनाने की सलाह दी।जिसके अनुरूप अधिकांश विद्यालयों में मातृभाषा, हिंदी तथा अँग्रेजी तीन भाषाओं का शिक्षण हो रहा है।

वैश्वीकरण के दौर में विश्व पूँजीवादी व्यवस्था के अनुरूप सुगठित हो चुका है। रोजगार के विविध साधन आँग्ल भाषा-भाषियों के लिए सुलभ हैं। इसलिए प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को महँगे अँग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाना अनिवार्य-अपरिहार्य आवश्यकता मान चुके हैं।यह नवशिक्षित व नवोदित पीढ़ी औपचारिक जीवन व व्यवसाय आँग्लभाषा के माध्यम से करती है। वहीं सामाजिक -पारिवारिक-सांस्कृतिक संस्कार अभी भी मातृभाषा हिंदी व देवभाषा संस्कृत में ही सुलभ हैं। हिंदी उनकी संवेदनाओं की संचित थाती है जो सभ्यता के हजारों साल पुराने संदर्भों से उन्हें सहज ही जोड़ देती है।

इसके विपरीत अनौपचारिक माध्यम के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर संपर्कभाषा हिंदी का व्यवहार अधिक बढ़ा है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता पूर्व प्रवासियों स्वातंत्र्योत्तर अप्रवासियों की पीढ़ी ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को संपर्कभाषा के रूप में प्रयोग करने पर अधिकाधिक बल प्रदान किया है। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग पर बल देने की शासकीय नीति से भी हिंदी को लाभ मिल रहा है।

हिंदी भाषा की भावी संभावनाओं, चुनौतियों व समाधान की दिशा को समझने के लिए हिंदी भाषा के विभिन्न स्वरूपों को समझना होगा। साहित्यिक भाषा, संपर्क भाषा, अकादमिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा के रूप में हिंदी के समग्र उत्थान पर व्यावहारिक कार्ययोजना की आवश्यकता है। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी जितना समृद्ध होती जाएगी, उतना ही अन्य रूप भी समृद्धतर होते चलेँगे। साहित्यिक भाषा से ही जुड़ा हुआ प्रश्न शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी साहित्य के पठन-पाठन की व्यवस्था का भी है। हिंदी साहित्य आदिकाल से लेकर आधुनिककाल तक की लगभग 1300 वर्षों की यात्रा पूर्ण कर चुका है। हिंदी साहित्येतिहास के विभिन्न कालों व

उसकी प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि साहित्यकारों की रचनाओं का विशद अध्ययन हिंदी माध्यम के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों द्वारा हो रहा है।इन विश्वविद्यालयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा प्रस्तावित हिंदी के पाठ्यक्रम को भी परखना होगा।शिक्षण प्रक्रिया के तीन अनिवार्य अंग होते हैं-शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम।इन पाठ्यक्रमों में नवाचार के नाम पर हिंदी साहित्य की मूल आत्मा को कमज़ोर किया जा रहा है।

हिंदी भाषा एवं साहित्य के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का अध्ययन आगामी विवेचन में सम्मिलित किया जा रहा है। सर्वप्रथम संपर्कभाषा के रूप में हिंदी की अवस्थिति और कठिनाइयों तथा संभावनाओं का परीक्षण उचित रहेगा। संपर्कभाषा के रूप में हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। उससे अधिक प्रयोग अँग्रेजी व मंदारिन का होता है।एक आंकड़े के अनुसार 180 विश्वविद्यालयों व 500से भी अधिक विदेशी संस्थानों में हिंदी शिक्षण किया जा रहा है। अमेरिका,कनाडा, दक्षिण अफ्रीका,मारीशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद-टोबैगो,में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 11से भी अधिक राज्य हिंदी भाषा-भाषी हैं। हिंदी अधिनियम - 1976के अनुसार भारतीय राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को हिंदी भाषा के प्रयोग के आधार पर तीन श्रेणियों में बाँट दिया गया है।क श्रेणी के राज्य,ख श्रेणी के राज्य,ग श्रेणी के राज्य। क श्रेणी के अंतर्गत समस्त हिंदी भाषी राज्य आते हैं। इनके साथ केंद्र का पत्र-व्यवहार अनिवार्य रूप से हिंदी में होता है।इन राज्यों में हिंदी का प्रयोग औपचारिक कार्यों में तथा हिंदी की किसी बोली का प्रयोग अनौपचारिक कार्य हेतु किया जाता है। ख श्रेणी के राज्यों में पंजाब, महाराष्ट्र,प० बंगाल, गुजरात इत्यादि राज्य आते हैं।जिनकी अपने राज्य की प्रमुख भाषा ही राजभाषा के रूप में व्यवहृत हो रही है।इसके अतिरिक्त अपने राज्य के इतर अन्य राज्यों के नागरिकों से उनका संपर्क हिंदी में ही संभव होता है। ग श्रेणी के राज्य अहिंदी भाषी राज्य हैं। जिसमें पूर्वोत्तर सहित दक्षिण भारत के अहिंदी भाषी राज्य सम्मिलित हैं।इन राज्यों में शेष भारत के नागरिकों का संपर्क स्थानीय जनसमुदाय से हिंदी में ही होता है।इस प्रकार प्राथमिक व द्वितीयक स्तर पर 70%से अधिक जनता हिंदी का प्रयोग करती है।शेष 30% जनता भी टूटी-फूटी हिंदी बोल और समझ सकती है।

भारतीय संस्थानों में भी 46 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय,सभी प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय, शासकीय - अशासकीय महाविद्यालयों में हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। जिससे बड़ी सँख्या में हिंदी प्रशिक्षित युवा पीढ़ी तैयार हो रही है।इन संस्थानों में उत्कृष्ट पाठ्यक्रम अध्ययन समितियों के माध्यम से संचालित किये जा रहे

हैं।जिसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य के सभी अंतरानुशासन हिंदी काव्य (प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, आधुनिक काव्य, स्वातंत्र्योत्तर काव्य), भाषा-विज्ञान, लोकसाहित्य,काव्यशास्त्र,साहित्येतिहास, पाठानुसंधान, साहित्यिक शोध इत्यादि का विस्तृत अध्ययन-अध्यापन किया जा रहा है।हाल के कुछ वर्षों में हिंदी भाषा व साहित्य के मूल स्वरूप को तिरोहित करने की कीमत पर अंतरानुशासनों तथा कार्यालयीन हिंदी, अनुवाद अध्ययन, सिनेमा, रंगमंच इत्यादि पर अतिरिक्त बल दिया जा रहा है।स्नातक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम में छह सेमेस्टर में से तीन सेमेस्टर कार्यालयी हिंदी, अनुवाद अध्ययन व परियोजना कार्य को सौंप दिए जाने के कारण हिंदी के साहित्यिक स्वरूप को नामपरिगणन शैली में छुआ मात्र जा रहा है। इससे हिंदी का मूल साहित्यिक स्वरूप आने वाले दस वर्षों में संकुचित होने का खतरा पैदा हो गया है।

प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर हिंदी का शिक्षण परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में दोहरा है। एक स्तर पर हिंदी भाषा, साहित्य व व्याकरण के रूप में एक विषय का अध्ययन किया जा रहा है। द्वितीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रयोग अन्य विषयों की माध्यमभाषा के रूप में किया जा रहा है।आज अभिभावकों के लिए अपने पाल्यों को अँग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाना अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है।इन दोनों ही स्तरों पर हिंदी का प्रयोग आये दिन सीमित होता चला जा रहा है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में चुने जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का चयन अभी तक भारतीय भाषा व मानविकी विषयों इतिहास, भूगोल, दर्शनशास्त्र,राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र,लोकप्रशासन के लिए उपयुक्त था। उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पश्चात अधिकांश विद्यार्थी अभियांत्रिकी व स्वास्थ्य शिक्षा-प्रशिक्षण की ओर अग्रसरित हो जाते थे।जिनकी माध्यमभाषा अँग्रेजी हुआ करती थी। वर्तमान में संघ व राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए सीसैट का प्रश्नपत्र अनिवार्य हो चुका है। जिसमें बड़ी सँख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत तकनीकी शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा के छात्र अखिल भारतीय व राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयनित हो रहे हैं।इन परिस्थितियों में अँग्रेजीपरस्त नीतियों के लिए कुख्यात अफसरशाही अँग्रेजीपरस्त व्यवस्था के पक्ष में खुलकर खड़ी हो चुकी है।

भूमंडलीकरण व वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को ग्लोबल ग्राम में बदल दिया है। निजीकरण व उदारीकरण के पश्चात बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशियाई व अफ्रीकी महाद्वीप सहित संपूर्ण विश्व को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बाजार व्यवस्था

में बदल दिया है।यह विश्व राजनीतिक रूप से भले ही बहुध्रुवीय हो परंतु आर्थिक रूप से एक-ध्रुवीय संरचना में ढल चुका है। सभ्यता के उदयकाल से ही कृषि व पशुपालन आधारित एशियाई राष्ट्र भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की डगर पर चल पड़े हैं। ग्राम की आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई विश्वग्राम के भरोसे हो चली है। अधिकांश राष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र से हाथ खींचते जा रहे हैं। रोजगार व उत्पादन के अधिकाधिक अवसर निजी हाथों में जा चुके हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ही रोजगार व उत्पादन के साधनों की नियंता बन चुकी हैं।इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्वग्राम में काम हेतु विश्वभाषा के रूप में अँग्रेजी को प्रश्रय दिया है।इन बहुराष्ट्रीय निजी कंपनियों ने नियोक्ता के रूप में कार्मिकों, प्रबंधकों सहित रोजगार के सभी द्वार अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित-प्रशिक्षित युवाओं के लिए संरक्षित कर दिये हैं।ऐसे में हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षित-प्रशिक्षित युवा अकुशल व बेरोजगार की श्रेणी में रख दिये गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में वेतन-वृद्धि व प्रोन्नति के अवसर सीमित हैं। क्योंकि वहाँ की मानवीय संरचना सीमित उत्पादन तक रह जाती है।वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अमानवीय कार्यदिवस व कार्य घंटों से उत्पादन से अधिकाधिक उत्पादन की गलाकाट होड़ मचा रखी है।वे अपने कर्मचारियों को उसी अनुपात में आर्थिक लाभ देने में सक्षम हैं।इन परिस्थितियों ने हिंदी भाषी युवाओं व हिंदी भाषा के भविष्य पर ग्रहण लगाने का कार्य किया है।

भारतीय परिदृश्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों व औद्योगीकरण के कारण तकनीकी, मेडिकल व प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार की संभावना तथा आय अधिक है। भारत की नई उभरती मध्यवर्गीय सामाजिक संरचना में व्यक्ति इन क्षेत्रों के माध्यम से अपनी आर्थिक व सामाजिक स्तर को उत्कृष्ट बनाना चाह रहा है। इसलिए प्रत्येक युवा तकनीकी, चिकित्सा व प्रबंधन की शिक्षा की ओर जाना चाह रहा है।इन क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ संस्थान तथा परिसर अँग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए युवा इन संस्थानों की प्रवेश परीक्षा,शिक्षा प्राप्त करके भविष्य में विदेश में कैरियर बनाने हेतु अँग्रेजी माध्यम की शिक्षा हेतु उद्यत हो चला है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का आरंभ ही द्विधाग्रस्त है। वह एक ओर भारतीय ज्ञान परंपरा व चिंतन को प्रश्रय देने का संकल्प व्यक्त करती है।वह शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा तथा भारतीय भाषाओं के संवर्धन के उपाय की पक्षधर है। वहीं यह नीति कौशल संवर्धन के नाम पर अँग्रेजी भाषा व तकनीकी दक्षता को भी बढ़ाने की बात करती है। परंपरागत बीए,बीएससी, बी कॉम पाठ्यक्रम में विषय की गहनता के स्थान पर परिचयात्मक विवरण को ही प्रधानता दी जा

रही है। हिंदी के साहित्यिक स्वरूप के स्थान पर अंतरानुशासनों में से कार्यालयी व प्रयोजन मूलक को अतिरिक्त महत्व देने के कारण हिंदी साहित्य का मुख्य पाठ्यक्रम संकुचित होता जा रहा है।

निजीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में भारत सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है।जिसका लाभ हिंदी भाषा को भी मिल रहा है।गूगल,एक्स, फेसबुक कंपनियों ने भारत की सँख्या बल को देखते हुए स्वयं को हिंदी के लिए सुलभ एवं उपयोगी बनाने हेतु अनेक एप, टाइपिंग की बोर्ड, सॉफ्टवेयर इत्यादि विकसित किये हैं, जिससे हिंदी में काम करना आसान हो चुका है।प्रवासी भारतीयों की विदेशों में प्रशासक,प्रबंधक,नीति-निर्माता के रूप में सफलता हिंदी को बढ़ावा दे रही है।अरब देशों, अमेरिका,यूरोप में बढ़ रही प्रवासी भारतीयों की सँख्या भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सबल बना रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अहिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी संपर्कभाषा का रूप ले चुकी है। पूर्वोत्तर तथा सुदूर पहाड़ी अंचलों में भी आवागमन तथा इंटरनेट की पहुँच ने हिंदी को भी अपने साथ पहुँचाने का कार्य किया है। केन्द्रीय विद्यालय,नवोदय विद्यालय,अटल आवासीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, भारतीय सेना, व अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी सुदूर अंचलों में हिंदी का प्रसार हो रहा है।एन०ई०पी० 2020 द्वारा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाये जाने व शास्त्रीय भाषा के संवर्धन का उपाय किये जाने के कारण हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षण मिल रहा है। हिंदी का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य इतना सशक्त हो चुका है कि आधुनिक विमर्शों में प्रवासी विमर्श नामक एक नवीन शाखा का ही अध्ययन-अध्यापन किया जा रहा है।

प्रत्येक भारतवासी में अपनी भाषा व संस्कृति के लिए गौरव-बोध जगाकर हिंदी के प्रति स्वत्त्व का भाव भरना होगा। हिंदी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली को वैज्ञानिक, प्रशासनिक व तकनीकी नीतियों के अनुरूप निरंतर विकासशील रूप देना होगा। भारतीय फिल्मों,कला,योग, वनस्पतियों, पर्यटन स्थलों को हिंदी भाषा के प्रति रुझान विकसित करने के लिए माध्यम की भाँति प्रयोग किया जा सकता है। राजभाषा अधिनियम -1976का अधिकाधिक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय ग्राम्य जीवन, कृषि, पशुपालन संस्कृति व सभ्यता से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर हिंदी को स्वत: बल मिल जाएगा। कम्प्यूटर, सूचना क्रांति व सोशल मीडिया के युग में हिंदी की वर्तमान दशा, संभावनाओं व चुनौतियों का अध्ययन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से करते हुए तकनीकी का हिंदी के पक्ष में प्रयोग करना संभव होगा।

भाषा के अनेक प्रायोगिक रूप संभव है-साहित्यिक भाषा, संपर्क भाषा, अकादमिक भाषा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संचार भाषा अथवा साहित्यिक हिंदी। अब हम हिंदी भाषा के इन विभिन्न रूपों के व्यावहारिक परिदृश्य का अवलोकन करेंगे।**सामान्य हिंदी** हिंदी का वह व्यावहारिक माध्यम है जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जगत का परस्पर व्यवहार संपन्न होता है।इसकी प्रधान विशेषता संप्रेषणीयता है। **साहित्यिक भाषा** सामान्य भाषा का सर्वाधिक सृजनात्मक रूप होती है। इसमें वर्णों ,पदों या वाक्यों का कुशल संयोजन भाषा को अपूर्व अर्थाभिव्यंजना प्रदान करता है। इसके समस्त भाषिक उपकरण सर्वश्रेष्ठ भाषिक संयोजन से बँधे होते हैं-"**सामान्य हिंदी अर्थसंप्रेषण के लिए किसी वर्णयोजना से नहीं बँधती,वर्णों की सांस्कृतिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रकृति का विचार तो साहित्यिक हिंदी में ही हो सकता है।पदों के प्रयोग में भी सामान्य हिंदी में ही एक ही अर्थ के विविध वाचकों में से कोई भी काम्य हो सकता है परंतु साहित्यिक हिंदी में एक ही अर्थ के पर्यायों में किसी भी एक ही का चुनाव न केवल वांछनीय, अपितु बाध्यकारी हो सकता है।" 1**

हिंदी 1000 वर्षों से अधिक सामान्य भाषा तथा साहित्यिक भाषा की भूमिका इस विशाल भारत के हिंदी तथा हिंदीतर राज्यों में संपन्न कर रही है। हिंदी साहित्यिक औदात्य व द्वन्द्वात्मक चेतना की आदिकाल से लेकर 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश तक कुशल संवाहिका रही है। भविष्य में भी इस भूमिका का निर्वहन हिंदी करती रहेगी।

संपर्कभाषा को अँग्रेजी में 'लिंक लैंग्वेज' कहा जाता है। यह किसी क्षेत्र, देश-प्रदेश के लोगों के लिए आपसी विचार-विनिमय का माध्यम बनती है।वे व्यक्ति जो एक-दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं।इसी संपर्कभाषा का व्यवहार करते हैं।भारत एक बहुभाषा-भाषी देश है।जिसके भाषाओं की उत्पत्ति पृथक-पृथक भाषा परिवारों से हैं।इनके बीच बोधगम्यता शून्य है।भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार व चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाओं का भारत में प्रचलन है। ऐसे में राष्ट्र की राजनीतिक इकाई संपर्क भाषा के माध्यम से ही परस्पर संबद्ध हो सकती है। भारत में संपर्कभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग जनसामान्य के स्तर पर प्रचलन में है-" **जिस देश में अनेक बोलियाँ और भाषाएँ हों,वहाँ एक सामान्य भाषा सबको जोड़ने का काम करती है। हिंदी बनी-बनाई संसर्गभाषा है, भारतीय संघ की संपर्कभाषा है। राष्ट्रीय भाषाएँ अनेक हैं, सर्वसुलभ भाषा हिन्दी ही है।" 2**

18वीं सदी के अंत में हिंदी दक्षिणभारत में भी संपर्कभाषा थी।इसका विवरण देते हुए डॉ० रामविलास शर्मा लिखते हैं कि-" **An introduction do the study of the hindistany language as spoken in the carnatic compiled for the use of the company of gentleman cadets on the madras, establishment at new town cuddalore-government press 1808."3**

माध्यम भाषा किन्हीं दो भाषा-भाषी समूहों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों के आदान-प्रदान का माध्यम होती है।यदि कोई जाति या संस्कृति अन्य जाति या संस्कृति के तत्वों को प्राप्त करना चाहती है तो माध्यमभाषा उन विविध संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करती है। माध्यमभाषा की समस्या भारत में तीन स्तरों पर दिखाई पड़ती है- शासन और न्याय की माध्यमभाषा, शिक्षा की माध्यमभाषा, विदेशी संबंध की माध्यम भाषा। स्वतंत्रता के पश्चात इसे लेकर भारत में संघर्ष की स्थिति रही है। स्थानीय भाषा हिन्दी और अंग्रेजी को माध्यम भाषा बनाए जाने का संघर्ष धीरे-धीरे उग्र होता गया है। दुर्भाग्यवश इसका निर्णय आजतक संभव नहीं हो सका है-" देश के विभिन्न प्रांतों के मध्य किस भाषा के माध्यम से विचार-विनिमय हो,यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है। कुछ समय पहले तक प्रदेशों की संपर्कभाषा अँग्रेजी रही है किन्तु गत वर्षों में यह दायित्व क्षेत्रीय भाषाओं के कंधों पर आ पड़ा है। क्योंकि हिंदी को सभी प्रांत माध्यमभाषा बनाने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं लेकिन इस प्रवृत्ति से अनेक असुविधाएँ भी जन्म लेती हैं।

मातृभाषा बच्चे द्वारा जन्म के साथ स्वत: अर्जित होती है। इसके लिए व्याकरण, शब्दकोश की आवश्यकता नहीं पड़ती है।यहाँ समग्र वाक्य का बोध पहले होता है।वर्णों या पदों का ज्ञान बाद में प्राप्त होता है। परिवार व समाज इसके अर्जन के आधारस्रोत होते हैं।इस प्रकार मातृभाषा बच्चे के अवचेतन बोध पर नैसर्गिक,सहज व स्वाभाविक रूप में अंकित हो जाती है। हिंदी भारत के विशाल जनसमुदाय की मातृभाषा है।

हिंदी मातृभाषा के रूप में सर्वाधिक राज्यों में व्यवहृत होती है।एक समान मातृभाषा की विविध बोलियों में भी वैविध्य होता है। जिसके कारण दर्शन, इतिहास, भूगोल,नृतत्व, पुरातत्व, शरीरविज्ञान की भिन्नता में छिपे होते हैं-" **भाषा एक सामाजिक सम्पत्ति है,अंत: सामाजिक विकास और पतन के साथ-साथ उसका भी उत्थान और ह्रास कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे-जैसे समाज सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के सोपानों पर चढ़ता जाता है वैसे ही भाषा भी अपनी ध्वनियों,रूपों,अर्थों के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती है।" 5**

संचार भाषा, संचार भाषा को जनसंचार भाषा कहना अधिक उपयुक्त है। यह संपर्क राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक कई स्तरों पर होता है। हिंदी भारत के व्यापक भौगौलिक भाग की संपर्कभाषा रही है।यह राष्ट्र को राजनीतिक इकाई के रूप में आबद्ध करने के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास की भी संवाहिका है। भारत में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, टीवी चैनल, रेडियो कार्यक्रम एवं समाचार,सोशल मीडिया का संवहन हिंदी भाषा के माध्यम से ही हो रहा है। भारत की विशाल जनसांख्यिकी को हिंदी ही जनसंचार भाषा का माध्यम उपलब्ध कराती है-"**हिंदी में छपने वाली हजारों पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि के कार्यक्रमों से भी हिंदी भाषा का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है।"6**

मानक भाषा को परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है।जब कोई विभाषा किसी शिष्ट सामाजिक वर्ग की भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है तो वह मानक भाषा बन जाती है। कालक्रम से ही भाषा की विविध बोलियों में से कोई एक साहित्यिक व सामुदायिक प्रयुक्ति की मान्यभाषा बन जाती है।यह बोली विभाषा, परिनिष्ठित भाषा इसके पश्चात साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण करती हुई मानक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है।इस भाषा की मानक शैली सभ्य या शिष्ट जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है। हिंदी ने भी साहित्य की भाषा के रूप में 1000 वर्षों की सुदीर्घ यात्रा तय कर ली है।इस यात्रा में ब्रज तथा अवधी बोलियाँ पृथक-पृथक दौर मे साहित्यिक भाषा की भूमिका का निर्वहन कर चुकी हैं। वर्तमान में खड़ी बोली हिन्दी भी मानक या परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर चुकी है। डॉ० भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि-**" मानक भाषा के प्रादेशिक रूपों के अतिरिक्त लिखित और मौखिक भी दो रूप होते हैं।सभी मौखिक भाषाएँ अपने लिखित रूपों से प्रायः भिन्न होती है। बोलने में सर्वदा वाक्य छोटे-छोटे रहते हैं पर लिखित रूप में वाक्य अधिकतर बड़े हो जाते हैं।××× मानक भाषा के लिखित रूप पर मौखिक रूप की अपेक्षा प्रादेशिकता की छाप कम रहती है, क्योंकि लिखने में लोग अपेक्षाकृत अधिक सतर्क रहते हैं।"7**

तकनीकी भाषा भाषा का आधुनिक पहलू है।यह विज्ञान एवं तकनीकी विकास से संबंधित है।यह भाषा के आधुनिकीकरण तथा तथा यांत्रिक विकास का परिचय कराती है।सन 1955में राजभाषा आयोग की संस्तुति के आधार पर दो आयोग गठित किये गए -वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग तथा विधायी आयोग।विधायी अयोग विधि क्षेत्र की प्रयुक्तियों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करता है। वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली

आयोग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी से संबंधित शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहा है। हिंदी के तकनीकी विकास को दो भागों में रखकर देखा जा सकता है- कम्प्यूटर से पूर्व यांत्रिकीकरण, इसमें टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के प्रयोग को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय चरण में कम्प्यूटरीकरण आधारित हिंदी अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। कुछ समय पूर्व तक हिंदी में सिस्टम सॉफ्टवेयर का अभाव था। इसके पश्चात सी-डैक के लीप ऑफिस तथा माइक्रोसॉफ्ट के 'हिंदी विंडोज ' से इसका आरंभ होता है।इस समय तक हिंदी की छवि कम्प्यूटर के लिए अनुपयुक्त भाषा की बन चुकी थी। यूनिकोड के आविष्कार से विश्व की सभी भाषाओं के लिए अद्भुत संयोजन उपलब्ध हो सका है। यूनिकोड सभी संकेतों की एकीकृत व्यवस्था के आधार पर कार्य करती है। विंडोज -2000 में पहली बार यूनिकोड के प्रयोग के साथ ही कम्प्यूटर का परिदृश्य हिंदी के लिए उपयुक्त बन चुका है।आज प्रमुख वेबसाइट, ब्लॉग, पोर्टल,ई कॉमर्स,ई गवर्नेंस, बैंकिंग, दूरसंचार, मोबाइल तकनीक के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अँग्रेजी की भाँति बिल्कुल सुगम हो गया है।

वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट व गूगल एप्लीकेशन की सहायता से हिंदी को कम्प्यूटर तथा मोबाइल पर अनुप्रयोग के सर्वथा उपयुक्त बना दिया गया है। ध्वनि पहचान सॉफ्टवेयर,वाइस टाइपिंग भी कम्प्यूटर व मोबाइल पर हिंदी भाषा में समान रूप से उपलब्ध है।स्कैन फाइल को टेक्स्ट फाइल में रूपांतरण करना भी गूगल लेंस की सहायता से संभव हो चुका है।ई-पेन के माध्यम से लिखित सामग्री को हिंदी भाषा में भी कम्प्यूटर टेक्स्ट के रूप में पहचानने में समर्थ हो चुका है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तथा अन्य कंपनियों के उन्नत स्पेल चेक एप्लीकेशन उपलब्ध हो गये हैं।जो शब्द की सही वर्तनी लेखन में सहायक हो रहे हैं। वर्तमान में हिंदी भाषी युवा पीढ़ी स्वयं को कम्प्यूटर व तकनीकी क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विश्व की अन्य भाषाओं के समकक्ष स्थान प्राप्त कर चुकी है।

राष्ट्रभाषा, किसी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक वर्ग की वह भाषा है,जिसमे उस देश के लोगों की संवेदना, चेतना के साथ अनुभूति व अभिव्यक्ति दोनों पक्ष समाहित रहते हैं।राष्ट्र से संबद्ध परंपराओं , रीति-रिवाज तथा भावनाओं के साथ संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम व प्रतीक राष्ट्रभाषा है।जबकि संघीय सरकार के द्वारा कामकाज के लिए स्वीकृत की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी को बहुभाषाई राष्ट्र भारत में राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। जबकि प्रशासनिक कामकाज के लिए दक्षिण भारतीय भाषाभाषियों के विरोधवश अँग्रेजी का व्यवहार होता है।

राष्ट्रभाषा के लिए कतिपय विशेषताओं का होना अनिवार्य है।वह बहुसंख्यक जनता की व्यावहारिक बोली हो। उसमें संवेदनात्मक सामर्थ्य तथा संचित राष्ट्रीय-सांस्कृतिक विरासत हो। उसमें शब्द-सामर्थ्य तथा उत्कृष्ट अभिव्यंजना क्षमता हो।उसकी व्याकरणिक संरचना सरल, बोधगम्य तथा वैज्ञानिक हो। उसमें जीवंतता तथा विकासोन्मुखी वृत्ति हो।उसकी पूर्णतया वैज्ञानिक लिपि हो।

स्वातंत्र्योत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में हिंदी में उपर्युक्त सारे गुण होने के कारण इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया गया है। किंतु दक्षिण भारतीय भाषाभाषियों के विरोध और अँग्रेजीपरस्त मानसिकता के कारण हिंदी को व्यावहारिक रूप में राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा प्राप्त न हो सकी।

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदीप्रेमी अनेक तर्क देते हैं।उनका कहना है कि भारत की 70-72% जनता प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर हिंदी का व्यवहार करती है।शेष 30% जनता भी टूटी-फूटी हिंदी समझ सकती है। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अतीव समृद्ध भारतीय नगरों पाटलिपुत्र, दिल्ली,आगरा की बोली हिन्दी रही है। देश के बड़े सामाजिक आंदोलन भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन की माध्यमभाषा हिंदी रही है।हिंदीतर प्रदेशों तथा पंजाब में श्रद्धाराम बिल्लौरी, यशपाल,गुरू नानक, महाराष्ट्र में प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, तमिलनाडु में वी० राजू आंध्र में मोटूरि सत्यनारायण,असम में शंकरदेव, केरल में श्रीराम वर्मा ने हिंदी को साहित्यभाषा के रूप में प्रयुक्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठित किया है। हिंदी का पूर्णतः वैज्ञानिक व्याकरण है। मराठी की ळ तथा फ़ारसी की क़,ख़,ग़,ज़,फ़ व अँग्रेजी के ऑ के प्रयोग से यह सभी भारतीय भाषाओं की सर्वमान्य लिपि बन सकती है।

वस्तुत: हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से अन्य भारतीय भाषाएँ अराष्ट्रीय नहीं हो जाती हैं। अतः इसे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय चिह्न की भाँति राष्ट्रीय भाषा का दर्ज़ा मिलना चाहिए।

राजभाषा, भारतीय संविधान के भाग 5,6,17 राजभाषा के विवेचन से संबंधित हैं। भाग-17 का शीर्षक राजभाषा है। राजभाषा विषयक अनुच्छेद 343-351तक में समाहित हैं।14सितंबर सन 1949को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी।यह राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन,सेठ गोविंददास, गोविन्दवल्लभ पंत इत्यादि के प्रयासों का परिणाम था। हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा मानने से भी अन्य सभी भारतीय भाषाएँ स्वत: राष्ट्रभाषा हो गईं। परंतु विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ।

भारतीय संविधान के भाग-17, अध्याय -1 की धारा 343,खंड-1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। परंतु 15वर्षों तक के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में न स्वीकारते हुए राष्ट्रपति के आदेश से अँग्रेजी को ही इस अवधि के लिए सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया गया है।

अनुच्छेद 344 इस 15वर्षों की अवधि में क्रमशः 5वर्ष तथा 10वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित करके समीक्षा की माँग करता है। अनुच्छेद 351क हिंदी भाषा के प्रसार का दायित्व केंद्रीय सरकार पर डालती है। अनुच्छेद -348(1) इस राज्य में प्रयोग होने वाली

किसी भी भाषा को राजकीय प्रयोजन हेतु स्वीकृति के लिए राज्यपाल को स्वतंत्रता प्रदान करती है। अनुच्छेद 120(1) संसद का कार्य हिंदी या अँग्रेजी में करने का निर्देश देता है।तथा सभापति या अध्यक्ष की अनुमति से मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 110के अनुसार राज्य के विधानमंडल में कार्य राजभाषा, राजभाषाओं, हिंदी या अँग्रेजी में किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351में आठवीं अनुसूची की 22भाषाओं का विनिर्देश है।

राजभाषा हिंदी की प्रगति विषयक प्रावधान:-

1- राष्ट्रपति का आदेश-1955.

2- राजभाषा आयोग -1955.

3- राजभाषा अधिनियम 1963(यथासंशोधित-1967)

4- राजभाषा अनुप्रयोग संकल्प -1968.

5- राजभाषा अधिनियम -1976.

राजभाषा अधिनियम -1976 के क्रियान्वयन की प्रगति के विश्लेषण के लिए तीन मंत्रालय संलग्न हैं।

(क) गृहमंत्रालय का राजभाषा आयोग :-

राजभाषा आयोग प्रत्येक वर्ष अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करके उसे पूरा करने के लिए दबाव बनाता है।वह हिंदी न जानने वालों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।इसके अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा

प्रशासनिक,विधिक, वाणिज्यिक, बैंकिंग, शब्दों का हिंदी अनुवाद कराता है।वह केंद्रीय हिंदी समिति व अन्य समितियों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

(ख) शिक्षा मंत्रालय – शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गठित केंद्रीय हिंदी निदेशालय उच्च शिक्षा व अन्य स्तरीय पुस्तकों का अनुवाद, द्विभाषी, त्रिभाषी कोश एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण कराया है।

इस प्रकार भारतवासियों की मानसिक तंगहाली के चलते हिंदी राजभाषा पद पर आसीन नहीं हो पा रही है। परंतु लोकतांत्रिक बहुसंख्यक आधारबल व विश्वस्तरीय साहित्यराशि तथा संवेदनात्मक सामर्थ्य के बूते हिंदी शीघ्र ही व्यावहारिक स्तर पर राजभाषा-राष्ट्रभाषा के द्वंद्व को समाप्त करके भारतीय गणराज्य की राष्ट्रभाषा होगी।

हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव न मिलने पर भी उसका महत्व राष्ट्रभाषा से कहीं कम नहीं है।भक्तिकालीन निर्गुण-सगुण साहित्य का प्रताप राष्ट्रव्यापी रहा है। पंजाब में हिंदी की परंपरा 12वीं, तेरहवीं शताब्दी से मिलने लगती है।अद्दहमाण ने संदेशरासक की रचना पंजाब में की थी।नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान पंजाब में ही है। गोरखनाथ, गुरुनानक,अमरदास, रामदास, अर्जुनसिंह, गोविंदसिंह ने हिंदी में भी रचनाएँ की थी।आधुनिककाल में चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' ,अध्यापक पूर्णसिंह,कृष्णा सोबती, उपेंद्रनाथ अश्क,पंजाब की धरती से ही संबंधित हिंदी साहित्य की विभूतियाँ रही हैं।

भारत में कश्मीर प्राचीनकाल से ही धर्म,दर्शन,शास्त्र तथा व्यवसाय का केंद्रबिंदु रहा है।यहाँ पर 1572ई० में वल्लभदेव ने रामचरितमानस का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया था।वीर विलास(कवि दत्त),विराट पर्व(सुंदर) की रचना ब्रजभाषा में हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व दुर्गा प्रसाद काचरू, दीनानाथ दीन,गोविंदभट्ट शास्त्री, प्रेमनाथ बजाज की हिंदी रचनाएँ मिलती हैं।

बंगाल भी हिंदी साहित्य रचना के लिए विश्रुत था।'ब्रजबुलि' में यहाँ 100 से अधिक कवियों ने रचनाएँ की।सूफीकाव्य की भाषा अवधी 'गोहारी' के रूप में यहाँ मुसलमान कवियों दौलत क़ाज़ी,सैयद आलाओल के साथ प्रचलित थी। मुस्लिम राजकर्मचारियों, उत्तर प्रदेश -मारवाड़ के व्यवसायियों की हिंदी साहित्य विषयक गतिविधि का साक्षी यह प्रांत रहा है।

उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के भक्तों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान दिया। उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु के आगमन के पश्चात ब्रजबुलि में रचना आरंभ हुई थी।प्रताप,रुद्रदेव, दामोदर,चम्पतिराय, जगन्नाथदास,दीन कृष्णदास,बलरामदास,अनंतदास आदि ने ब्रजभाषा में रचनाएँ की। गुजरात कृष्ण की अपरलीलाभूमि रहा है।यहाँ के नरेशों तथा मुस्लिम शासकों में हिंदी के प्रति अनुराग था।जिसके कारण यहाँ पर हिंदी के शिलालेख देवनागरी लिपि व संस्कृतनिष्ठ हिन्दी में रचित मिलते हैं।केशवराम कायस्थ, नरसिंह मेहता,बैजू बावरा, कृष्णदास अधिकारी,मुकुंद मुगली(कबीर चरित्र), त्रीकमदास (रुक्मणी हरण,डाकोर लीला),दयाराम(कुल 41ग्रंथ,1200 स्फुट पद) की रचना हुई।इस प्रांत में श्रीनारायण संप्रदाय खूब सक्रिय रहा। जिसमें कवि मुक्तानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद,निष्कुलानंद ने नीति, वैराग्य और भक्ति की रचनाएँ की।

निर्गुणपंथी परंपरा कबीरपंथ, दादूपंथी,रामानंदीपंथ, तथा प्रणामीपंथ का यहाँ प्रचार रहा।इन निर्गुण संतकवियों में दादूदयाल, प्राणनाथ,भाणदास,छोटन, दीनदर्वेश,अर्जुन इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश-अवहट्ठ से चली आ रही जैन कवियों की परंपरा आंनंदघन, ज्ञानानंद,विश्व-विजय,यशोविजय,किशनदास ने ब्रज-खड़ीबोली की रचनाएँ की। अनेक गुजराती नरेशों ने भी ब्रज व खड़ी बोली में रचनाएँ की थी।

महाराष्ट्र प्रान्त,मराठी और हिंदी की बोलियों के प्राकृतों के दौर से हिंदी से गहरा संबद्ध है। देवनागरी के दोनों ही भाषाओं की लिपि बनने से संबध और गहरा गया है। मुम्बई महानगर में उत्तर भारतीय कामगारों की वृहत् सँख्या ने भी हिंदी साहित्य के प्रसार में योगदान दिया है। चक्रधर स्वामी, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम,जनजयवंत,मध्वमुनीश्वर,अमृतराय, निरंजन रघुनाथ, प्रभाकर माचवे इत्यादि हिंदी साहित्य की मराठी विभूतियाँ हैं। शिवाजी के पुत्र संभाजी हिंदी में कविता करते थे।मराठा शासकों के संरक्षण में भूषण ने राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाई।

दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार राजनीतिक, धार्मिक, तथा व्यावसायिक कारणों से भी हुआ।यहाँ पर हिंदी की दक्खिनी शैली का विस्तार हुआ।जिसके विकासक्रम की सुदीर्घ श्रृंखला रही है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय विभूतियाँ तिरुनाल महाराज,कृष्णराय, रुकमांगत पंडित, लक्ष्मीपति आदि ने भी हिंदी गीत रचना की।

हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है।वह संस्कृत, लैटिन,ग्रीक आदि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में सभ्य भाषाओं की निकटवर्ती रही हैं।विश्व में हिंदी भाषा के स्वरूप का अध्ययन दो श्रेणियों में रखकर किया जा सकता

है।(क) प्रवासी व अप्रवासी भारतीयों का हिंदी साहित्य।(ख) विदेशी लेखकों का हिंदी साहित्य। इनमें से क श्रेणी औपनिवेशकता व साम्राज्यवाद के इतिहास से जुड़ी है। जिसमें मारीशस,फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद-टोबैगो,गुयाना, दक्षिण अफ्रीका तथा अप्रवासी भारतीयों में अमेरिका,यूरोप, आस्ट्रेलिया,जापान में बसे अप्रवासी भारतीयों की रचनाओं को रखा जा सकता है।महात्मा गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष की शुरुआत प्रवासी भारतीयों के बीच की थी।इसका पृथक अध्ययन प्रवासी विमर्श की पृथक श्रेणी में हिंदी साहित्य में किया जा रहा है।

ख, श्रेणी विदेशी मूल के हिंदी रचनाकारों की है। वर्तमान में 180से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों व 500संस्थानों में हिंदी भाषा का व्यवस्थित अध्ययन किया जा रहा है। जिनमें से कुछ स्वत:प्रेरित तथा कतिपय भारत सरकार व संस्था की प्रेरणा से संचालित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने जापान में हिंदी की स्थिति सुदृढ़ की ।यहाँ अनेक जापानी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। जिसमें प्रो० तोषी ने जापानी-हिंदी कोश तैयार किया।बड़ी सँख्या में जापानी विद्यार्थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। ओसाका यूनिवर्सिटी में भी हिंदी अध्ययन की व्यवस्था है।

भारत और सोवियत रूस की सांस्कृतिक मैत्री ने हिंदी को भी बढ़ाने का कार्य किया है।वे मध्यकालीन व आधुनिक काव्य का रुचिपूर्वक अध्ययन करते हैं।बेरान्निकोव ने तुलसी के रामचरितमानस का हिंदी् अनुवाद किया था।वा बारिश,वीं चेरनीशोव,वी० क्रेसकोविन आदि ने हिंदी की गद्य-पद्य रचनाओं का रूसी में अनुवाद किया। बड़ी सँख्या में रूसी लेखकों लियो टॉल्स्टॉय,अंतोन चेखोव का अनुवाद हिंदी में पढ़ा-पढ़ाया जाता है।

ब्रिटेन में भारतीय भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन का आरंभ 1921ई० में इंस्टीट्यूट ऑफ ओरियंटल स्टडीज की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, हिंदी प्रसार परिषद इत्यादि संस्थाएँ वहाँ योगदान दे रही हैं।अँग्रेजी भारत की सर्वाधिक कार्यकारी भाषा का रूप ले चुकी है।

अमेरिका में सैमुअल केलॉग ने 1875ई० में हिंदी भाषा का व्याकरण तैयार किया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 35 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। बड़ी सँख्या में भारतीय अप्रवासियों की सँख्या कनाडा, जर्मनी,इटली,फ्रांस, इत्यादि देशों में रह रही हैं।जो प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा का संवर्धन कर रही हैं।बुकर,नोबेल जैसी पुरस्कार श्रेणियों ने विश्व साहित्य की अवधारणा विकसित की है। जिसमें भी हिंदी कृति व कृतिकार सम्मानजनक स्थान रखते हैं

हिंदी भाषा संवर्धन में व्यक्तियों का योगदान भी उल्लेखनीय है।भारत में हिंदी का परिवेश भारतीय भाषाओं तथा अँग्रेजी के द्वंद्व के बीच अच्छी तरह से समझा जा सकता है।गाँधीजी अँग्रेजी शिक्षा के विरोधी और राष्ट्रभाषा के समर्थक थे।1917ई० में ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की भाषा हो सकती है।वे हिंदी और उर्दू के भेद को कृत्रिम मानते थे।वे आगे चलकर हिंदी-उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी के समर्थक बन गये। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए 6 सदस्यों की एक समिति बनाई थी।

पं० मदनमोहन मालवीय ने हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए लंबा संघर्ष किया। उन्होंने 'हिंदुस्तान', दैनिक तथा 'अभ्युदय' साप्ताहिक के प्रकाशन व काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से हिंदी को संबल प्रदान किया। उनके अनथक प्रयासों से ही अदालतों में नागरी लिपि की शुरुआत हुई। राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के जन्मदाताओं में से एक हैं। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हिंदी के संविधान के रूपांतरण में योगदान दिया।उनका योगदान डाक-तार विभाग में हिंदी को महत्व दिलाने में भी है।सेठ गोविंददास ने हिंदी और हिंदुस्तानी के विवाद को सुलझाने में अमूल्य योगदान दिया। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के प्रचार में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अँग्रेजी भाषा में भाषण देना छोड़कर राजनेताओं को हिंदी भाषण देने के लिए प्रेरित किया।वे 'हिंदी केशरी' का नियमित संपादन करते थे।लाला लाजपतराय ने पंजाब में शिक्षा विभाग में हिंदी को स्थान दिलाया। उनके प्रयास से ही पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। काका कालेलकर ने लिपि विवाद के शमन के साथ ही दक्षिण भारत में हिंदी के प्रसार के लिए गाँधीजी के दूत की भाँति बहुमूल्य योगदान दिया।

हिंदी के प्रचार-प्रसार में संस्थानों का योगदान भी बहुमूल्य है।हिंदी भाषा के संवर्धन में दो तरह की संस्थाओं ने योगदान दिया – प्रथम वर्ग में, सामाजिक सुधार तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण से संबंधित संस्थाएँ आती हैं।दूसरे वर्ग में, हिंदी प्रचारक स्वैच्छिक संस्थाएँ रखी जा सकती हैं।

सामाजिक सुधार तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण संबंधित संस्थाएँ ऐतिहासिक महत्व रखती हैं।ब्रह्म समाज ने 1828ई० में स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय भावना के लिए राष्ट्रभाषा का महत्व स्वीकार किया।। हिंदी के समर्थक केशवचंद्र सेन,राजनारायण बोस, भूदेव मुखर्जी इसी संस्था से संबंधित थे। नवीनचंद्र राय ने पंजाब में तथा भूदेव

मुखर्जी ने बिहार में हिंदी को प्रतिष्ठित किया। बिहार के अदालतों की भाषा हिन्दी लिपि देवनागरी राय के प्रयासों से ही बन सकी।राजाराम मोहन राय बंगदूत के कुछ पृष्ठ हिंदी में भी रखते थे।वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुजराती हैते हुए भी हिंदी भाषा का संवर्धन किया। उन्होंने अपने प्रचारकों तथा अनुयायियों के लिए हिंदी शिक्षा तथा प्रयोग को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश,पंच महायज्ञ, विधि, वेदांत,ध्वांत निवारण, वेद विरुद्ध मतखंडन, वेदांगप्रकाश ग्रंथों की रचना हिंदी में की। आर्यसमाज द्वारा स्थापित संस्थानों में गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार), गुरुकुल (वृंदावन), गुरुकुल महाविद्यालय (ज्वालापुर) तथा दयानंद एंग्लो-वैदिक स्कूल, कॉलेज प्रमुख हैं।इस समाज का कार्यक्षेत्र द० अफ्रीका, केन्या, युगांडा,टांगानिका,मारीशस, फिजी,डच, गुयाना, त्रिनिदाद तक था। इसके द्वारा आर्यभूषण, आर्यावर्त,आर्यमित्र, भारतोदय, धर्मवीर,भारती, श्रद्धा, वैदिक संदेश, हिंदी,आर्यजीवन,वेदवाणी इत्यादि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता था। स्वामी जी ने कहा था-**"मेरी आँखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएँ।"8**

सनातन धर्म सभा (1855ई०) ने हिंदी और संस्कृत के प्रोत्साहन का लक्ष्य रखा था। इसके संस्थापक दीनदयाल शर्मा तथा प्रमुख नेता गोस्वामी गणेशदत्त,श्रद्धाराम फिल्लौरी थे। इन्होंने पंजाब में रात्रि पाठशालाएँ खोलकर हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की।

थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना मूलतः अमेरिका में 1875ई० में की गई थी।1879ई० में इसका कार्यालय मुम्बई में स्थापित हुआ।सोसायटी ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा-**"भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएँ बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है,वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है,वह भाषा हिन्दी है। हिंदी जाननेवाला आदमी सारे भारतवर्ष में मिल सकता है और वह भारतवर्ष भर में यात्रा कर सकता है।" 9**

इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण संबंधी अन्य संस्थाओं प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ने भी हिंदी को समृद्ध करने में महती भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीय एकीकरण में हिंदी की महती भूमिका रही है। बालगंगाधर तिलक,राजनारायण बोस,भूदेव मुखर्जी, बंकिमचंद्र चटर्जी, सुभाषचन्द्र बोस ने आगे बढ़कर हिंदी का समर्थन किया। प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट में संकल्प व्यक्त किया गया -**"यदि हम लोगों ने तन-मन-धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी-हिंदी।"10**

इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण संबंधी अन्य संस्थाओं प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, राधास्वामी संप्रदाय इत्यादि ने भी हिंदी को समृद्ध किया।

हिंदी प्रचारक स्वैच्छिक संस्थाएँ भी हिंदी प्रसार में अग्रगामी रही हैं।नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893ई० में बनारस में हुई थी।इस सभा के प्रारंभिक संरक्षकों में गोपालप्रसाद खत्री, रामनारायण मिश्र, बाबू श्यामसुंदर दास इत्यादि थे।सभा ने हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, पुस्तक संपादन, प्रकाशन, शब्दकोश निर्माण, भाषा और साहित्य के इतिहास लेखन में अतुल्य योगदान दिया है।हाल के वर्षों में व्योमेश शुक्ल द्वारा सभा का कार्य नये सिरे से आगे बढ़ाया जा रहा है।

हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910ई० में हुई थी।यह संस्था प्रथमा,मध्यमा,उत्तमा परीक्षाओं के माध्यम से हिंदी और हिंदीतर क्षेत्र के परीक्षार्थियों को प्रशिक्षित कर रही है।इसके अतिरिक्त शोधपरक तथा दुर्लभ पुस्तकों के प्रकाशन व पत्रिकाओं के प्रकाशन से निरंतर हिंदी सेवा में रत है।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1918ई० में इंदौर अधिवेशन के द्वारा हुई।यह अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी प्रचार का कार्य करती है।उनकी प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी।इसका प्रधान कार्यालय मद्रास में रखा गया है।इसकी 18 प्रांतीय समितियाँ भी गठित हैं।यह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से अहिंदी भाषियों को हिंदी भाषा का कुशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रभाषा हिंदी के वैश्विक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से किया जाता है।यह भारत तथा विश्व के हिंदीसेवियों, विद्वानों व लेखकों को कार्य व दिशानिर्देशन का उपयुक्त मंच प्रदान करती है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में मारीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम की अध्यक्षता में हुआ था। प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर इसका सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय पटल पर होता है ।

ओड़िया राष्ट्रभाषा परिषद पुरी की स्थापना बाबा राघव दास, अनुसूयाप्रसाद पाठक तथा रामानंद के प्रयासों से हुई।यह संस्था 1954तक वर्धा की सहायता से कार्य करती थी।इसके पश्चात यह स्वतंत्र हो गई।यह असम,पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश आदि प्रांतों के आदिवासी अंचलों में हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य करती है। इसके द्वारा प्राथमिक, बोधिनी, माध्यमिक,विनोद, प्रवीण, शास्त्री इत्यादि परीक्षाओं का आयोजन,सात विद्यालयों का संचालन, पुस्तकालय इत्यादि कार्य कर रही है।

कर्नाटक महिला सेवा समिति बंगलौर की स्थापना 1952में श्री शिवानन्द स्वामी तथा माता क्यूबाई के द्वारा हुई।इस संस्था की सभी पदाधिकारी महिलाएँ हैं।यह असम, गोवा, बंगाल, कर्नाटक,केरल इत्यादि राज्यों में साहित्य निर्माण प्रकाशन तथा,मंचन व प्रदर्शनी का आयोजन करती है।

केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुअनंतपुरम की स्थापना 1939ई० में स्व० के० वासुदेव पिल्लै द्वारा की गई।यह केरलवासियों में हिंदी प्रेम का प्रसार, विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन, तथा 'केरल ज्योति ' नामक पत्रिका के प्रकाशन के द्वारा करती है।इस संस्था के 400 विद्यालय व एक केंद्रीय हिंदी महाविद्यालय भी है।

कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति की स्थापना 1949 में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के उद्देश्य से की गई थी।इसके द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का संचालन तथा 'भाषा पीयूष' नामक त्रैमासिक का संपादन भी किया जाता है।इसके द्वारा 50हिंदी विद्यालयों का संचालन प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा के उद्देश्य से किया जाता है।

मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बंगलौर की स्थापना 1943में की गई।यह अहिंदी भाषियों में हिंदी के प्रति रुचि जागृत करती है।यह विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन तथा एक सामाजिक पत्रिका का प्रकाशन भी करती है।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना 1921ई० में की गई।इसके संस्थापक सी०पी० रामास्वामी थे ।इसकी मुख्य प्रेरक एनी बेसेंट थीं। इसके दिल्ली सहित कुल चार प्रांतीय कार्यालय हैं।यह हिंदी प्रचार समाचार और दक्षिण भारत नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है।इसे वर्तमान में विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया है।

गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना 1921ई० में की गई।यह विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करती है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ, बम्बई (1983), हिंदुस्तानी प्रचार सभा , बम्बई (1918),व हिंदी विद्यापीठ देवघर, महाराष्ट्र में स्थापित संस्थाएँ हैं। इनमें से हिंदुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई की स्थापना महात्मा गाँधी की हिंदी-उर्दू संघर्ष को समाप्त करने की नीति के अनुरूप की गई थी।यह लिखावट,प्रवेश,परिचय, काबिल और विद्वान इत्यादि परीक्षाओं

का आयोजन करती है। इसके द्वारा 'हिंदुस्तानी ज़बान' नामक त्रैभाषी मासिक का संपादन -प्रकाशन किया जाता है। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929ई० में देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा तथा राष्ट्रीय भावना के संवर्धन हेतु किया गया था।

हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद की स्थापना 1932ई० में हुई। इसके 200 से अधिक शिक्षण केंद्र हैं।यह तेलुगू,मराठी, कन्नड़, संस्कृत,भाषा की साहित्यिक पुस्तकों का अनुवाद प्रादेशिक भाषा में कराती है।

अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान की स्थापना का उद्देश्य हिंदी विषयक भारतीय संस्थाओं के समन्वयन के लिए किया गया।इसका स्थापना वर्ष 1964 तथा केंद्र दिल्ली है।

भारतीय हिंदी परिषद, इलाहाबाद की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक प्रो० धीरेंद्र वर्मा ने की इसका केंद्र हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है।यह विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के हिंदी प्राध्यापकों तथा साहित्यकारों की संस्था है।यह हिंदी भाषा एवं साहित्य के उच्चस्तरीय अध्ययन-अध्यापन तथा शोध पर बल प्रदान करती है।

निष्कर्ष:- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं की भाँति संस्कृति, साहित्य व संवेदना का माध्यम रही है।यह भूमिका आज भी हिंदी श्लाघनीय रूप से निभा रही हैं। हिंदी सुदूर पूर्वोत्तर तथा दक्षिण भारतीय राज्यों तक भी संपर्कभाषा के रूप में पहुँच चुकी है। प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा तथा बोलियों से पुनः संबंध स्थापित कर रहा है।वह अपनी भाषाई जड़ों से स्थायी जुड़ाव चाहता है।अब हिंदी भाषा-भाषी हिंदी का व्यवहार हीनताबोध से नहीं अपितु स्वत्वबोध से करने लगे हैं। विज्ञान, प्रशासन,शिक्षा, दर्शन, संस्कृति, स्वास्थ्य, तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी सशक्त रूप धारण करने की ओर अग्रसर है। अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक ज्ञान-विज्ञान की पहुँच के साथ हिंदी तथा उसकी बोलियाँ भी लाभान्वित हो रही हैं। वर्तमान समय में हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी का व्याकरण, पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद उपकरण तथा द्विभाषिक स्वरूप निरंतर नवीन रूप लेता जा रहा है। हिंदी भाषा-भाषियों की विकासशील दशा आश्वस्त करती है कि हिंदी भाषा भी भविष्य में विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, शिक्षा की सबल भाषा के रूप में न केवल भारत अपितु विश्व के एक विशाल पटल पर भी अपना स्थान सुनिश्चित करेगी।

संदर्भ:

- पांडेय, के. एन. (2018). *प्रयोजन मूलक हिंदी की नई भूमिका*. लोक भारती प्रकाशन.
- बाहरी, एच. (1965). *हिंदी उद्भव, विकास और रूप*. किताबमहल प्रकाशन.
- शर्मा, आर. वी. (2017). *भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा*. राजकमल प्रकाशन.
- त्रिपाठी, आर. (2013). *भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा*. किताबमहल प्रकाशन.
- शर्मा, आर. (2016). *आधुनिक भाषाविज्ञान*. वाणी प्रकाशन.
- शर्मा, आर. (2009). *आधुनिक भाषाविज्ञान के सिद्धांत*. लोक भारती प्रकाशन.
- तिवारी, बी. (1955). *भाषाविज्ञान*. किताबमहल पब्लिशर्स.
- दीक्षित, एम. (2013). हिंदी भाषा. लोकभारती प्रकाशन.